अध्याय-I
प्रस्तावना

अध्याय-I
प्रस्तावना

1.1 बजट रूपरेखा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे) दिल्ली में 66 विभाग एवं 74 स्वायत्त निकाय हैं। 2010–15 के दौरान रा.रा.क्षे. सरकार के प्रति बजट अनुमानों एवं वास्तविक व्यय की स्थिति **तालिका 1.1** में दी गई है:

तालिका 1.1: 2010–15 के दौरान राज्य सरकार का बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएं	1,273.48	3,728.95	1,589.55	4,347.23	3,128.74	5,738.57	5,792.69	5,597.48	6,763.15	5,983.40
सामाजिक सेवाएं	9,345.57	8,718.80	11,567.05	10,717.11	12,616.68	11,737.43	13,134.81	12,314.54	14,800.52	13,306.11
आर्थिक सेवाएं	1,542.56	1,392.46	2,253.06	2,172.22	2,611.64	2,350.82	3,783.08	3,650.00	3,573.12	3,318.99
सहायता अनुदान एवं योगदान	555.84	541.53	736.23	728.29	833.77	832.53	804.50	804.50	900.99	900.99
योग (1)	**12,717.45**	**14,381.74**	**16,145.89**	**17,964.85**	**19,190.83**	**20,659.35**	**23,515.08**	**22,366.52**	**26,037.78**	**23,509.49**
पूँजीगत व्यय										
पूँजीगत परिव्यय	4,433.08	3,984.80	4,209.53	4,004.27	4,835.80	4,176.63	4,889.22	4,707.42	4,937.41	4,403.94
वितरित ऋण एवं अग्रिम	6,378.47	6,364.73	3,404.58	3,345.42	4,082.37	3,734.83	5,694.00	5,652.37	2,138.06	1,679.94
लोक ऋण का पुर्नभुगतान	800.00	793.06	1,090.00	1,087.88	1,288.00	1,287.99	1,325.29	1,325.29	1,676.75	1,346.73
आकस्मिकता निधि	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
लोक लेखों द्वारा संवितरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अन्तिम रोकड़ शेष	0	7,713.20	0	4,636.28	0	1,985.75	0	880.65	0	1,517.07
योग (2)	**11,611.55**	**18,855.79**	**8,704.11**	**13,073.85**	**10,206.17**	**11,185.20**	**11,908.51**	**12,565.73**	**8,752.22**	**8,947.68**
कुल योग (1+2)	**24,329.00**	**33,237.53**	**24,850.00**	**31,038.70**	**29,397.00**	**31,844.55**	**35,423.59**	**34,932.25**	**34,790.00**	**3,2457.17**

स्रोत: राज्य सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण एवं वित्त लेखे

1.2 राज्य सरकार के संसाधनों का उपयोग

2010–15 के दौरान राज्य सरकार का कुल व्यय[1] ₹ 24,731.27 करोड़ से बढ़कर ₹ 29,593.37 करोड़ हो गया, जबकि राजस्व व्यय 2010–11 के ₹ 14,381.74 करोड़ से 63.47 प्रतिशत से बढ़कर 2014–15 में ₹ 23,509.49 करोड़ हो गया। गैर–योजनागत राजस्व व्यय ₹ 9,490.15 करोड़ से 63.99 प्रतिशत बढ़कर ₹ 15,563.19 करोड़ हो गया तथा पूंजीगत व्यय 2010–15 की अवधि के दौरान ₹ 3,984.80 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,403.94 करोड़ हो गया।

[1]लोक ऋण का पुर्नभुगतान तथा रोकड़ शेष को छोड़कर

2010–15 वर्षों के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 58.15 से 79.44 प्रतिशत एवं पूँजीगत व्यय 16.11 से 14.88 प्रतिशत था। इस अवधि के दौरान, कुल व्यय 4.38 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ा था, जबकि राजस्व प्राप्तियाँ 2010–15 के दौरान 8.24 प्रतिशत की वार्षिक औसत विकास दर से बढ़ी थीं।

1.3 निरंतर बचतें

पिछले पॉच वर्षों के दौरान छः मामलों में, ₹ एक करोड़ से अधिक की निरन्तर बचतें थीं जिनका विवरण **तालिका–1.2** में दिया गया है।

तालिका 1.2 : 2010–15 के दौरान निरन्तर बचतों के साथ अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व (दत्तमत्त)						
1.	**अनुदान संख्या 3: न्यायिक प्रशासन:** 2014 बी. 1(2)(1)– न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय	6.50	8.69	5.00	6.04	8.05
2.	**अनुदान संख्या 5: गृह:** 2055 डी. 1(1) (1)– फोरेसिंक साईंस लैबोरेट्री	2.85	6.49	4.89	3.41	28.57
3.	**अनुदान संख्या 7: चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य:** 2211 के 1 (3)(1)– शहरी परिवार कल्याण केन्द्र (सी. एस.एस.)	2.04	7.45	1.93	3.50	9.21
4.	**अनुदान संख्या 11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग:** 2217 ए. 8(2)(1)(26)– नगर सुधार के लिए सहायता अनुदान	64.45	300.93	189.87	325.16	157.12
पूँजीगत (दत्तमत्त)						
5.	**अनुदान संख्या 8: समाज कल्याण:** 5055 डीडी. 1(3)(1)– परिवहन के वैकल्पिक उपाय इलैक्ट्रॉनिक ट्रॉली बसों की शुरूआत	10.00	240.75	8.39	97.21	3.00
6.	**अनुदान संख्या 11: शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग:** 4202 बीबी. 4(1)(4)(2)– दिल्ली सरकार समर्थित कॉलेज बिल्डिंग का निर्माण	8.16	23.32	19.54	20.18	17.17

स्रोत: विनियोग लेखे

इन शीर्षों के अंतर्गत लगातार बचतें रिक्त पदों के न भरे जाने, भंडार मदों की कम खरीद, योजना के अंतर्गत दि.न.नि. को अनुदान की गैर/कम अदायगी, नगर निगमों द्वारा गैर–निष्पादन, अनुदानों का द्विभाजन, योजनाओं का गैर–कार्यान्वयन तथा समय पर योजनाओं की गैर–स्वीकृति के कारण कार्य की धीमी प्रगति है।

1.4 भारत सरकार (भा.स.) से सहायता अनुदान

2010–11 से 2014–15 के वर्षों के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान **तालिका 1.3** में दी गई हैं:

तालिका 1.3 : भारत सरकार से सहायता अनुदान के वर्ष–वार विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
गैर–योजनागत अनुदान	2,338.71	978.85	333.57	326.91	327.95
राज्य योजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	1,888.30	814.76	919.73	717.81	1,467.35
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान	130.39	167.03	249.22	358.14	552.84
योग	**4,357.40**	**1,960.64**	**1,502.52**	**1,402.86**	**2,348.14**
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (+) कमी (–) का प्रतिशत	(+) 23.23	(–) 55.00	(–) 23.37	(–) 6.63	(+) 67.38
राजस्व प्राप्तियाँ	25,024.10	22,393.17	25,560.97	27,980.69	29,584.59
राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	17.41	8.76	5.88	5.01	7.94

2010–14 की अवधि के दौरान भारत सरकार से कुल सहायता अनुदान ₹ 4,357.40 करोड़ से घटकर ₹ 1,402.86 करोड़ हो गया। जबकि, 2014–15 वर्ष के दौरान 33.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियों की यह प्रतिशतता 5.01 तथा 17.41 प्रतिशत के बीच की श्रेणी की थी।

1.5 लेखापरीक्षा की योजना तथा प्रबंधन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, योजनाओं/परियोजनाओं इत्यादि के साथ प्रारंभ होती है तथा इसमें गतिविधियों की विवेचनात्मक/जटिलता, प्रदत्त वित्तीय शक्तियों का स्तर, आंतरिक नियंत्रण तथा ऋणधारकों के विषयों तथा पूर्व लेखापरीक्षा प्राप्तियों के जोखिम निर्धारण भी शामिल होते है। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा विस्तार तय किए जाते हैं एवं एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा की समाप्ति के बाद, लेखापरीक्षा निष्कर्षो को शामिल करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन, कार्यालय प्रमुख को चार सप्ताह में उत्तर प्रदान करने के अनुरोध के साथ जारी किया जाता है। जब उत्तर प्राप्त हो जाते हैं, अभियुक्तियों का या तो निपटान किया जाता है अथवा आगे अनुपालना के लिए परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में दर्शाई गयी महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए संसाधित किया जाता है जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भारत के संविधान के सरकार अधिनियम 1991 की धारा 48 के अधीन दिल्ली के उपराज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

2014–15 के दौरान, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के कार्यालय द्वारा राज्य के 182 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (आ. एवं सं.अ.) तथा सात स्वायत्त निकायों की अनुपालना लेखापरीक्षा की गई। इनके अतिरिक्त, चार निष्पादन लेखापरीक्षाएँ भी आयोजित की गई।

1.6 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण कमियों के साथ ही चयनित विभागों के आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता जिसका विभाग के क्रियाकलापों तथा कार्यक्रमों की सफलता पर नकारात्मक प्रभाव था, को बताया है। अभीष्ट लाभार्थियो को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के सुधार के लिए उपर्युक्त सिफारिशें देने पर ध्यान दिया गया था।

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों को शामिल करने हेतु प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वारा प्रधान सचिवों/सम्बन्धित विभागों के सचिवों को, लेखापरीक्षा निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए उन पर अपने प्रत्युत्तर छः सप्ताह में भिजवाने हेतु अग्रेषित किया गया। विभागों/सरकार से प्रत्युतरों की गैर–प्राप्ति को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में ऐसे पैराग्राफों के अंत में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। इन प्रस्तावित चार निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 20 पैराग्राफों को 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक (गैर–सा.क्षे.उ.) क्षेत्रों पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु संबंधित प्रधान सचिवों/संबंधित विभागों के सचिवों को भेजा गया। इनमें से तीन निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा 16 लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (मार्च 2016)।

1.7 लेखापरीक्षा के दौरान वसूलियां

राज्य सरकार के विभागों के लेखों की लेखापरीक्षा के समय नमूना जाँच परीक्षा के दौरान ऐसे लेखापरीक्षा निष्कर्ष जिसमे वसूलियां शामिल थीं को विभिन्न विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (आ. एवं सं.अ.) को लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए पुष्टि तथा आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया।

2014–15 के दौरान इंगित 168 मामलों में ₹ 22.39 करोड़ की वसूली के प्रति संबंधित आ. एवं सं.अ. ने 2014–15 के दौरान 39 मामलों में सिर्फ ₹ 1.57 करोड़ की वसूली (पूर्व वर्षों की वसूली सहित) की।

1.8 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार के उत्तरदायित्व में कमी

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली सरकारी विभागों के लेन–देन की नमूना जाँच द्वारा आवधिक निरीक्षण आयोजित करता है तथा निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार महत्वपूर्ण लेखांकन एवं अन्य दस्तावेजों का रखरखाव सत्यापित करता है। इन जाँचों के पश्चात् लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) जारी किए जाते हैं। जब लेखापरीक्षा जाँच के दौरान पायी गयी महत्वपूर्ण अनियमितताऐं उसी दौरान नहीं निपटाई जाती हैं, तो उन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा निरीक्षित कार्यालय प्रमुख तथा आगे उच्च प्राधिकारी को जारी किया जाता है। कार्यालयाध्यक्ष को निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के चार हफ्तों के अंदर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अपनी अनुपालना सूचित करनी होती है।

नमूना जाँच के परिणामों पर आधारित 31 मार्च 2015 को 1,543 निरीक्षण प्रतिवेदन में बकाया 7,185 अभ्युक्तियाँ **तालिका 1.4** में दी गई हैं:

तालिका 1.4 : बकाया लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र का नाम	मार्च 2013 तक			मार्च 2014 तक			मार्च 2015 तक		
	नि.प्र.	पैरा	राशि	नि.प्र.	पैरा	राशि	नि.प्र.	पैरा	राशि
सामाजिक क्षेत्र	709	2,910	89.27	774	3,129	219.56	843	3,551	99.19
सामान्य क्षेत्र	551	2,514	167.16	616	3,000	256.34	537	3,041	448.04
आर्थिक क्षेत्र (गैर सा.क्षे.उ.)	160	527	4,653.81	158	550	4,682.75	163	593	6,821.38
योग	**1,420**	**5,951**	**4,910.24**	**1,548**	**6,679**	**5,158.65**	**1,543**	**7,185**	**7,368.61**

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में महत्वपूर्ण वृद्धि सरकार को लेखापरीक्षा द्वारा पता लगाए गए मामलों के वित्तीय प्रबन्धन तथा जबावदेही में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता को दर्शाता है।

1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

1.9.1 लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) में स्वतः एक्शन टेकन नोटस का गैर–परस्तुतिकरण तथा पैराग्राफों की चर्चा

विविध लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, कार्यकारिणियों के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक विभागों ने सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफों तथा निपटान लेखापरीक्षाओं पर एक्शन टेकन नोट्स (ए.टी.एन.) की शुरूआत की है बगैर इस तथ्य को ध्यान में रखे कि इनकी लो.ले.स. द्वारा चर्चा की गयी है या नही। इन ए.टी.एन. को राज्य विधानमण्डल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की तारीख से लेकर तीन महीने की अवधि के दौरान दिल्ली के प्रधान महालेखाकार (ले.प.) द्वारा यथावत् जाँच के बाद लोक लेखा समिति को सौंपना होगा।

2005–06 से 2013–14 तक लेखा प्रतिवेदनों के सिविल अध्यायों में दर्शाई गई 34 निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा 102 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में से, 10 निष्पादन लेखा परीक्षाओं तथा 36 लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में स्वतः ऐक्शन टेकन नोट्स प्राप्त नहीं किए गए। सात निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 37 लेखापरीक्षा पैराग्राफ पर 31 दिसम्बर 2015 तक, लो.ले.स./कोगू द्वारा चर्चा नहीं की गई थी।

1.10 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाई गई निष्पादन लेखापरीक्षा तथा लेखा परीक्षा पैराग्राफों के वर्ष–वार विवरण

पिछले तीन वर्षों के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षा पैराग्राफ के वर्ष वार विवरण जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उनके धन मूल्य सहित दिए गए थे, को **तालिका 1.5** में दिया गया है।

तालिका 1.5 : 2011–14 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दिए गए निष्पादन लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षा पैराग्राफों का विवरण

वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा		लेखापरीक्षा पैराग्राफ		प्राप्त प्रत्युत्तर	
	संख्या	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	संख्या	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	निष्पादन लेखा परीक्षा	लेखापरीक्षा पैराग्राफ
2011-12	11[2]	8951.52	7	12.15	3	0
2012-13	5	94.77	10	226.57	4	5
2013-14	5	43.40	15	146.26	3	0

15 निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 38 लेखापरीक्षा पैराग्राफ राज्य सरकार को जारी किए गए थे। जबकि, सरकार/विभागों से केवल 10 निष्पादन लेखापरीक्षा तथा पाँच लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में प्रत्युत्तर प्राप्त किए गए थे।

इस प्रतिवेदन में ₹ 240.04 करोड़ के चार निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ₹ 1,711.58 करोड़ धन मूल्य के 16 लेखापरीक्षा पैराग्राफ सम्मिलित किए गए है, जहाँ कही भी प्रत्युत्तर प्राप्त हुए थे, उन्हें उचित स्थान पर शामिल कर दिया गया है।

[2]दो निष्पादन लेखा परीक्षा, तीन सी.सी.ओ. आधारित लेखापरीक्षा तथा छः विषयक लेखापरीक्षा सम्मिलित है।